न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : करतार सिंह पूनियां, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 02/14

राज्य सरकार जरिये श्री विनोद कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक, श्रीकरणपुर
प्रार्थी

बनाम

महेन्द्र सिंह पुत्र खेताराम जाति राजपूत
निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
अप्रार्थी

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित : प्रवर्तन निरीक्षक, विभागीय प्रतिनिधि
अप्रार्थी की ओर से श्री बलविन्द्र सिंह बराड, अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक : 18.11.2016

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार जरिये श्री विनोद कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक, श्रीकरणपुर द्वारा अन्तर्गत धारा 6 ए आ0व0अधि0 1955 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि दिनांक 03.04.2014 को पुलिस थाना श्रीकरणपुर के थाना अधिकारी द्वारा 7 घरेलू गैस सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी, एक व्यवसायिक गैस सिलेण्डर व एक गैस रिफलिंग के लिए उपयोग में आने वाली इलैक्ट्रिक मोटर को जे.पी चौक, जीप मार्केट श्रीकरणपुर स्थित राजपूत हॉटल के मालिक अप्रार्थी श्री महेन्द्र सिंह से बरामद किये जाने की सूचना पर प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा थाना परिसर पहुंच कर जांच की गई। मुताबिक थानाधिकारी अवैध रिफलिंग व भण्डारण की सूचना मिलने पर राजपूत होटल पर छापा मारा गया, जिससे मौके पर सात घरेलू गैस सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी, एक व्यवसायिक गैस सिलेण्डर व एक गैस रिफलिंग के लिए उपयोग में आने वाली इलैक्ट्रिक मोटर बरामद की गई। बरामदगी से जाहिर होता है कि अप्रार्थी महेन्द्रसिंह द्वारा अवैध रूप से गैस रिफिलिंग कर कालाबजारी में बेची जा रही थी। पुलिस द्वारा उपरोक्त बरामद शुदा सामान को जब्त कर पुलिस थाना श्री करणपुर के मालखाना इन्चार्ज एच0 सी0 नं0 3 को सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी महेन्द्र सिंह के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही हेतु पुलिस थाना श्रीकरणपुर में प्राथमिकी दर्ज

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

करवाना भी परिवाद में अंकित किया गया है। इस प्रकार प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा परिवाद पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी महेन्द्र सिंह का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम के सैशन 3 के तहत जारी एलपीजी गैस (Regulation of Supply and distribution) order 2000 के क्लॉज 3(1) (ए)(बी)(सी), 4(1)(ए), 6 व 7 (1)(सी) एवं राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडक्टस (लाईसेंस एवं कन्ट्रोल) आदेश 1990के क्लॉज 3(1) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः जब्त शुदा एक अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर मय 2 किलो गैस को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी के खिलाफ संज्ञान लिया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने जरिए अधिवक्ता दिनांक 17.10.14 को जवाब पेश किया एवं फार्म नं 03 के साथ शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजात पेश किये। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि दिनांक 03.04.2014 को पुलिस थाना श्रीकरणपुर के थाना अधिकारी द्वारा 7 घरेलू गैस सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी, एक व्यवसायिक गैस सिलेण्डर व एक गैस रिफलिंग के लिए उपयोग में आने वाली इलैक्ट्रिक मोटर को जे.पी चौक, जीप मार्केट श्रीकरणपुर स्थित राजपूत हॉटल के मालिक अप्रार्थी श्री महेन्द्र सिंह से बरामद किये जाने की सूचना पर प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा थाना परिसर पहुंच कर जांच की गई। मुताबिक थानाधिकारी अवैध रिफलिंग व भण्डारण की सूचना मिलने पर राजपूत होटल पर छापा मारा गया, जिससे मौके पर सात घरेलू गैस सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी, एक व्यवसायिक गैस सिलेण्डर व एक गैस रिफलिंग के लिए उपयोग में आने वाली इलैक्ट्रिक मोटर बरामद की गई। अप्रार्थी महेन्द्रसिंह द्वारा अवैध रूप से गैस रिफिलिंग कर कालाबजारी में बेची जा रही थी। पुलिस द्वारा उपरोक्त बरामद शुदा सामान को जब्त कर पुलिस थाना श्री करणपुर के मालखाना इन्चार्ज एच सी0 नं0 3 को सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी महेन्द्र सिंह के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही हेतु पुलिस थाना श्रीकरणपुर में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। अप्रार्थी महेन्द्र सिंह का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम के सैशन 3 के तहत जारी एलपीजी गैस (Regulation of Supply and distribution) order 2000 के क्लॉज 3(1) (ए)(बी)(सी), 4(1)(ए), 6 व 7 (1)(सी) एवं राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडक्टस (लाईसेंस एवं कन्ट्रोल) आदेश 1990के क्लॉज 3(1) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः जब्त शुदा एक अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर मय 2 किलो गैस को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अप्रार्थी ने बहस के दौरान जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी ने आठ गैस सिलेण्डर जिसमें छः भरे हुए तथा दो खाली थे कि सही स्थिति प्रवर्तन निरीक्षक को बात दी थी लेकिन उन्होनें ने अप्रार्थी की बात पर विश्वास न कर गलत तौर से जब्ती की कार्यवाही की जाकर झूठा मुकद्दमा बनाया गया है। जब्तशुदा सिलेण्डरों में से दो सिलेण्डर भरे हुए चानण सिंह पुत्र वरयाम सिंह वार्ड संख्या 01 श्रीकरणपुर के थे। एक सिलेण्डर बलकरण सिंह पुत्र नत्था सिंह, जटसिख साकिन बुर्जवाला का था। दो सिलेण्डर चरणजीत सिंह पुत्र कलवन्त सिंह जाति तरखान निवासी बुर्जवाला तहसील करणपुर के थे। एक सिलेण्डर अप्रार्थी स्वयं का था तथा एक प्रार्थी के भाई विजय सिंह का था। व्यवसायिक सिलेण्डर शेर सिंह पुत्र प्रताप सिह जाति राजपूत निवासी वार्ड नं 12 करणपुर का है। अप्रार्थी द्वारा सभी के शपथ पत्र एवं गैस कनैक्शन की पास बुक की फोटो प्रतियां पेश की गई है। अप्रार्थी के अलावा शेष सभी सिलेण्डर जो उसके पास बतौर अमानत रखे हुए थे, क्योंकि गैस एजेन्सी उसकी दुकान के पास में ही स्थित होने से ये लोग रिफलिंग लेकर उसके पास रख जाते थे तथा सुविधानुसार ले जाते थे। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से गैस सिलेण्डर भरने व अवैध रूप से बेचने का काम नहीं करता है। इलैक्ट्रिक मोटर का उपयोग पानी भरने के लिए स्टोर में रखी हुई थी जिसको गलत तरीके से उठाकर जब्त किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि जब्ती की तमाम कार्यवाही गलत की गई है। मुकद्दमा झूठा व निराधार बनाया गया है। अतः कार्यवाही समाप्त की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 03.04.2014 को पुलिस थाना श्रीकरणपुर के थाना अधिकारी द्वारा 7 घरेलू गैस सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी, एक व्यवसायिक गैस सिलेण्डर व एक गैस रिफलिंग के लिए उपयोग में आने वाली इलैक्ट्रिक मोटर को जे.पी चौक, जीप मार्केट श्रीकरणपुर स्थित राजपूत हॉटल के मालिक अप्रार्थी श्री महेन्द्र सिंह से बरामद किये जाने की सूचना पर प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा थाना परिसर पहुंच कर जांच की गई। मुताबिक थानाधिकारी अवैध रिफलिंग व भण्डारण की सूचना मिलने पर राजपूत होटल पर छापा मारा गया, जिससे मौके पर सात घरेलू गैस सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी, एक व्यवसायिक गैस सिलेण्डर व एक गैस रिफलिंग के लिए उपयोग में आने वाली इलैक्ट्रिक मोटर बरामद की गई। अप्रार्थी महेन्द्रसिंह द्वारा अवैध रूप से गैस रिफिलिंग कर कालाबजारी में बेची जा रही थी। पुलिस द्वारा उपरोक्त बरामद शुदा सामान को जब्त कर पुलिस थाना श्री करणपुर के मालखाना इन्चार्ज एच सी0 नं0 3 को सुपुर्द किया गया। मौके पर फर्द मौका व जब्ती तैयार किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से यही प्रतीत होता है कि अप्रार्थी महेन्द्र सिंह द्वारा अन्य लोगों की पास बुकों पर घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर भरवाकर व्यवसायिक उपयोग के कार्य में लिया जाता था।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

A7
4

अतः अप्रार्थी द्वारा अनुदानित धरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग करके एलपीजी गैस (Regulation of Supply and distribution) order 2000 के क्लॉज 3(1)(ए)(बी)(सी), 4(1)(ए), 6 व 7 (1)(सी) एवं राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडक्टस (लाईसेंस एवं कन्ट्रोल) आदेश 1990के क्लॉज 3(1) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः जब्त शुदा सात घरेलू गैस सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी, एक व्यवसायिक गैस सिलेण्डर व गैस रिफलिंग के लिए उपयोग में आने वाली इलैक्ट्रिक मोटर को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्री गंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.11.16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

18.11.16

(करतार सिंह पूनिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

E:\K.L.Kalra\ Kalraji 2016